



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 माघ 1935 (श0)
(सं0 पटना 102) पटना, बुधवार, 22 जनवरी 2014

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं
20 जनवरी 2014

एस0 ओ0 8, दिनांक 22 जनवरी 2014—बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (1993 का बिहार अधिनियम 16) की धारा-6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, विभागीय अधिसूचना संख्या एस०ओ० 9, दिनांक 27 फरवरी, 2009 तथा एस०ओ० 10, दिनांक 27 फरवरी, 2009 को तुरन्त के प्रभाव से रद्द करते हैं।

[सं0 सं0 11/अंशा०/विविध-03/2012-250(अनु0)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नरेन्द्र कुमार सिन्हा,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

20 जनवरी 2014

एस0 ओ0 9, एस0 ओ0 8, दिनांक 22 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं0 सं0 11/अंशा०/विविध-03/2012-250(अनु0)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नरेन्द्र कुमार सिन्हा,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 20th January 2014

S.O. 8, dated the 22nd January 2014—In exercise of powers conferred by Section 6 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale therein Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993), the Governor of Bihar is pleased to cancel departmental notification number

S.O. 9, Dated 27th February, 2009, and notification number S.O. 10, Dated 27th February, 2009 with immediate effect.

[F. No. 11 An. Sha./Vividh-03/2012—250(Anu.)]

By order of the Governor of Bihar,
NARENDRA KUMAR SINHA,
Commissioner-cum-principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 102-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>